

# कार्यालय अधिशासी अभियंता भू जल विभाग, पाली

183, जय नगर, पाली (राज.)

फ़ोन :— 02932-257664

ई-मेल :—eegwd.pali@gmail.com

नीलामी नोटिस नं. 1 दिनांक 07.03.2022 निलामी दिनांक 28.03.2022

## नीलामी नोटिस की शर्तें

- प्रत्येक बोलीदाता को बैटरी प्रबंधक एवं हथालन नियम 2001 में नियम –7 के अन्तर्गत बैटरी डीलर के उत्तरदायित्वों में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य है।
- प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता को नीलामी शुरू हाने से पूर्व नीलामी हेतु संबंधित लोट्स के लिये निर्धारित की गई अमानत राशि. नकद/डी.डी./बैंकर चैक —**Executive Engineer ,Ground Water Department , Pali payable at Pali** के नाम काउन्टर नं. 1. पर जमा करवानी होगी।
- लोट की बोली किसी बोलीदाता के पक्ष में निर्णित होने पर उस बोलीदाता के द्वारा आवंटित मूल्य की एक चौथाई राशि (अमानत राशि के अलावा) जमा करवानी होगी।
- सबसे उँची बोली देने वाले बोलीदाता के पक्ष में नीलामी निर्णित होने पर उसके अनुरोध पर अमानत राशि को एक चौथाई राशि में समायोजित की जा सकेगी।
- प्रत्येक बोलीदाता, का यह दायित्व रहेगा कि बोली लगाने से पूर्व नीलामी की शर्तें व नीलाम होने वाली लोट की पूरी जानकारी प्राप्त करके ही बोली लगावे। बोली लगाने के बाद किसी प्रकार की शिकायत मान्य नहीं होगी।
- उच्चतम बोली को स्वीकार करने अथवा नहीं करने एवं नीलामी को निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा एवं कमेटी इसके लिये कारण बताने को बाध्य नहीं होगी।
- सबसे उँची बोली देने वाले बोलीदाता के पक्ष में नीलामी निर्णित होने पर उस बोलीदाता को अपनी बोली की एक चौथाई राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी पूर्ण अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी व सामान पुनः नीलाम किया जा सकेगा, एवं ऐसे बोलीदाता को डिफाल्टर घोषित किया जावेगा। एक चौथाई राशि जमा कराते समय ऐसे बोलीदाता को संलग्न प्रपत्र “क” के अनुसार करार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सबसे उँची बोली की शेष तीन चौथाई राशि मय जी. एस. टी. (जो भी लागू होगा) बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 15 कार्य दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। विशेष परिस्थितियों में बोलीदाता द्वारा लिखित आवेदन पर उक्त राशि जमा कराये जाने हेतु निर्धारित अवधि में अधिकतम 15 कार्यदिवस की वृद्धि मय ब्याज (@18%Per Annum) पर ही स्वीकार की जा सकेगी।  
उपरोक्तानुसार अवधि (ब्याज सहित) में अगर कोई बोलीदाता जिसके हक में अंतिम बोली विभाग द्वारा स्वीकार की गई है, शेष तीन चौथाई रकम (मूल एवं ब्याज सहित) जमा कराने में असफल होने की स्थिति में संबंधित बोलीदाता की पूर्ण जमा राशि (एक चौथाई राशि) जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी से संबंधित माल का अधिकर पुनः विभाग का हो जाएगा।
- तीन चौथाई राशि जमा कराने में नीलामी का माल सुपुर्द करवाने बाबत् आवेदन निर्धारित प्रपत्र “ख” में वांछित पूर्तियां पूर्ण कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

उनकी अधिकतम अवधि 25 कार्य दिवस (तीन चौथाई राशि जमा करवाने के अगले दिन निर्धारित है। विशेष परिस्थितियों में बोली दाता द्वारा लिखित आवेदन पर माल उठाने की मायावधि में अधिकतम 25 कार्यदिवस की वृद्धि निम्नानुसार प्रतिदिन वारफेज के रूप में राशि जमा कराये जाने के पश्चात की सामान की सुपुर्दगी की जा सकेगी:-

सं.	नीलामी से प्राप्त राशि	वारफेज राशि प्रतिदिन
	रु. 1,00,000/-तक	रुपये 100/-प्रतिदिन
2	रु. 1,00,000/-से अधिक परन्तु रु. 5,00,000/-तक	रुपये 200/-प्रतिदिन
3	रु. 5,00,000/-से अधिक	रुपये 500/-प्रतिदिन

उपरोक्तानुसार अवधि में माल नहीं उठाये जाने की स्थिति में संबंधित बोलीदाता की पूर्ण जमा राशि विभाग द्वारा जब्त कर नीलामी से संबंधित माल का अधिकार पुनः विभाग अपने अधीन कर लेगा। राजकीय अवकाश में माल की डिलेवरी नहीं की जावेगी।

11. तीन चौथाई राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / eGRAS चालान से जो अधिशाषी अभियंता भू जल विभाग, पाली के नाम देय होने के रूप में जमा करवाना होगा।
12. सम्पूर्ण सामग्री उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में अपने साधनों व लेबर से उठानी होगी, एवं सामग्री उठाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। सामग्री उठाने के लिये किसी सामग्री को काटने / टुकड़े आदि करने की अनुमति विशेष परिस्थितियों में अधिशाषी अभियंता भू जल विभाग, पाली द्वारा दी जा सकेगी।
13. माल की सुपुर्दगी के समय संबंधित बोलीदाता जिसके नाम बोली स्वीकृत की गई है, स्वयं उपरिथित होकर सामान की प्राप्ति करेगा, यदि किसी कारणवश वह स्वयं उपरिथित नहीं हो सकता तो अपने प्रतिनिधि के नाम special power of attorney (प्रपत्र ग) राशि रु. 100/- के नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी सहित प्रस्तुत करने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिलेवरी प्राप्त की जा सकेगी।
14. नीलामी के दौरान उत्पन्न विवाद के लिये नीलामी समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
15. नीलामी के उपरान्त, सामान लिफिटंग / डिलीवरी के दौरान उत्पन्न विवाद के लिये मुख्य अभियंता का निर्णय मान्य होगा।
16. नीलामी कार्यक्रम की अवधि को परिस्थिति अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार नीलामी समिति का होगा।
17. नीलाम किये गये सामान पर राज्य सरकार के नियमानुसार जी.एस.टी. जमा करवाना अनिवार्य है अतः तीन चौथाई राशि जमा कराने के साथ ही निर्धारित सम्पूर्ण नीलामी राशि की जी.एस.टी. राशि का पृथक से डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / eGRAS अधिशाषी अभियंता भू जल विभाग, पाली, के नाम एवं पालीदेय जमा करवाना होगा अथवा बोलीदाता स्वयं इस राशि विशेषको विभाग द्वारा उक्त विक्रय की गई सामग्री के पेटे देय जी.एस.टी. सीधे ही राजकोष में जमा कराई जाकर चालान की प्रति इस कार्यालय को सुपुर्द करनी होगी।
18. संबंधित बोलीदाता को जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जी.एस.टी. में अपंजीकृत फर्म इस नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। विभाग के संबंधित कार्यालय अधिशाषी अभियंता भू जल विभाग, पाली के जी.एस.टी. नं. (08JDHG05444F1DN) है।
19. प्रत्येक बोलीदाता को अमानत राशि जमा कराने के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराये जाने अनिवार्य है—

दाता की पहचान से संबंधित फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतियां  
आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि।

बोलीदाता के स्थाई निवास पते के संबंध में दस्तावेज की स्वप्रमाणित दो छाया प्रतियां यथा—  
,बेजली ,पानी ,टेलीफोन बिल आदि।

3 घोषणापत्र निर्धारित प्रपत्र-2 की समस्त पूर्तियां पूर्ण कर पासपोर्ट साईज की दो नवीनतम  
फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाते हुये निर्धारित अमानत राशि सहित।

4 फर्म, कंपनी एवं संस्था की ओर से निलामी में भाग लेने हेतु संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र की  
स्वप्रमाणित दो छाया प्रतियां एवं इस प्रकार की संस्था की तरफ से बोली में भाग लेने हेतु  
अधिकृत व्यक्ति के नाम मूल अधिकार पत्र।

5 बोलीदाता के जी.एस.टी. नं. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्प्रमाणित दो छाया प्रतियां।

कृपया ध्यान रहे कि उक्त में से किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर अमानत  
राशि जमा नहीं की जावेगी और निलामी में भाग नहीं लिया जा सकेगा।

20. कृपया सूचित रहे कि उपरोक्त सामग्री की “नीलामी जैसा है जहां है” हालात में की जावेगी।  
उपरोक्त अकार्यशील सामग्री की नीलामी नहीं करने/रोकने का समस्त अधिकार विभाग के पास  
बिना कारण बताये सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त आईटम के नीलामी की बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये अस्वीकार करने  
के समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे।

21. नीलामी से संबंधित यदि कोई न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार  
पाली शहर रहेगा।

  
(मेर सिंह)  
२०.३.२२

अधिशासी अभियंता  
भू जल विभाग, पाली

# पाली अधिशासी अभियंता भू जल विभाग, पाली

183, जय नगर, पाली (राज.)

फ़ोन :- 02932-257664

ई-मेल :-eegwd.pali@gmail.com

## नीलामी नोटिस नं. 1 दिनांक 07.03.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भू जल विभाग, पाली मे दिनांक 28.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक उक्त सामग्री के निस्तारण तक निम्न प्रकार के अकार्यशील / अप्रचलित / नकारा सामग्री की नीलामी की जायेगी।

### अकार्यशील / अप्रचलित / नकारा सामग्री का विवरण—

क्र. सं.	लोट नं.	अकार्यशील / अप्रचलित / नकारा सामग्री का विवरण	पुस्तक मुल्य	बयाना राशि
1	लोट नं 01	टायर, खाली ड्रम, ड्रिलिंग ऐसेसरीज, ड्रिल पाईप्स लाईट्स स्पेयर्स, भारी स्पेयर्स, रेडियटर्स आदि।	1518922/-	30400/- (राउन्डेड)
2	लोट नं 02	बैटरीयां	210000/-	4200/-

इच्छुक खरीदार उपरोक्त सामग्री का निरीक्षण नीलामी स्थल पर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे कर सकते हैं। नीलामी की शर्तें व नियम दिनांक 15.03.2022 से कार्यालय के नोटिस बोर्ड व विभागीय वेबसाईट <https://phedwater.rajasthan.gov.in/> पर देखी जा सकती हैं।

कृपया सूचित रहे कि उपरोक्त सामग्री की "नीलामी जैसा है जहां है" हालात में की जावेगी। उपरोक्त अकार्यशील सामग्री की नीलामी नहीं करने/रोकने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना कारण बताये सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त आईटम के नीलामी की बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये अस्वीकार करने के समस्त अधिकार भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेंगे।

  
(मेरह सिंह राठौड़)

अधिशासी अभियंता  
भू जल विभाग, पाली

नीलामी स्थल  
भू जल विभाग परीसर,  
मानपुरा भाखरी  
सज्जन काँलेज के सामने, पाली